भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1355

(जिसका उत्तर मंगलवार, 01 अगस्त, 2023/10 श्रावण, 1945 (शक) को दिया जाना है)

"संघ द्वारा राज्यों को सौंपे गए कर"

सं. 1355 श्री एस कल्याणसुंदरम:

श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य के हिस्से के रूप में संघ द्वारा सौंपे गए करों के राज्य-वार आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-दर-वर्ष संघ द्वारा राज्यों को सौंपे गए कर से प्राप्त राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सौंपे गए कुल करों और बकाया कुल करों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान जीएसटी के अंतर्गत एकत्र किए गए और केंद्र सरकार को भेजे गए कुल कर राजस्व का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क और ख) जी हां, । पिछले (5) पांच वर्षों के दौरान राज्यों को अंतरित करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ग) पिछले (5) पांच वर्षों के लिए राज्यों को देय सभी करों को अनुबंध 1 में दिए गए विवरण के अनुसार अंतरित किया गया है; और

(घ) वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू आपूर्ति पर माल और सेवा कर (जीएसटी) का विवरण अनुबंध 2 में दिया गया है।

***

अनुबंध 1

पिछले (5) पांच वर्षों के दौरान राज्यों को अंतरित करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	32787.03	28242.39	24460.59	35385.83	38176.74
2	अरुणाचल प्रदेश	10436.14	8987.57	10472.58	14643.90	16689.17
3	असम	25215.85	21721.44	18629.32	28150.55	29694.26
4	बिहार	73602.96	63406.33	59861.41	91352.62	95509.85
5	छतीसगढ	23458.69	20205.84	20337.54	28570.86	32358.26
6	गोवा	2878.36	2479.85	2296.53	3356.98	3665.19
7	गुजरात	23489.32	20232.09	20218.53	31105.78	33034.00
8	हरियाणा	8254.60	7111.53	6437.59	9722.16	10378.00
9	हिमाचल प्रदेश	5429.77	4677.56	4753.92	7349.04	7883.98
10	जम्मू एवं कश्मीर	13989.80	6801.81	0.00	0.00	0.00
11	झारखंड	23906.13	20593.04	19712.23	27734.64	31404.12
12	कर्नाटक	35894.83	30919.00	21694.11	33283.58	34596.18
13	केरल	19038.17	16401.05	11560.40	17820.09	18260.68
14	मध्य प्रदेश	57486.87	49517.61	46922.16	69541.50	74542.85
15	महाराष्ट्र	42050.43	36219.64	36504.01	54318.06	60000.97
16	मणिपुर	4698.59	4047.77	4271.97	6009.65	6795.08
17	मेघालय	4889.07	4211.78	4551.63	6580.63	7286.14
18	मिजोरम	3502.96	3017.80	3010.55	4222.87	4745.25
19	नागालैंड	3792.41	3267.08	3409.25	4875.46	5400.19
20	ओडिशा	35353.73	30453.25	27542.67	38144.79	42989.33
21	पंजाब	12008.95	10345.78	10638.21	15288.79	17163.65
22	राजस्थान	41852.35	36049.14	35575.77	54030.61	57230.79
23	सिक्किम	2794.67	2407.69	2308.47	3353.69	3680.28
24	तमिलनाडु	30638.87	26392.40	24924.51	37458.60	38731.24
25	तेलंगाना	18560.88	15987.59	12691.62	18720.54	19668.15
26	त्रिपुरा	4888.95	4211.78	4218.45	6077.52	6724.23
27	उत्तर प्रदेश	136766.46	117818.30	106687.01	160358.05	169745.30
28	उत्तराखंड	8011.59	6901.54	6568.72	9906.25	10617.01
29	पश्चिम बंगाल	55775.72	48048.40	44737.01	65540.75	71434.93
	कुल	**761454.15**	**650677.05**	**594996.76**	**882903.79**	**948405.82**

अनुबंध 2

माल और सेवाओं की घरेलू आपूर्ति पर माल और सेवाकर (जीएसटी) का विवरण

(Rs, करोड़)

राज्य कोड	राज्य	वित्तीय वर्ष				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
01	जम्मू और कश्मीर	3,792	4,010	3,647	4,692	5,246
02	हिमाचल प्रदेश	7,593	7,960	7,055	8,023	8,778
03	पंजाब	13,977	15,235	13,913	18,406	20,949
04	चंडीगढ़	1,778	1,988	1,651	1,979	2,365
05	उत्तराखंड	15,150	14,722	12,339	13,680	16,845
06	हरियाणा	55,233	59,560	54,890	68,142	86,668
07	दिल्ली	39,845	44,161	36,568	46,253	55,843
08	राजस्थान	30,721	32,821	31,797	38,480	45,458
09	उत्तर प्रदेश	61,323	65,281	59,721	73,865	87,970
10	बिहार	10,755	12,640	11,638	13,534	16,548
11	सिक्किम	1,917	2,248	2,266	2,811	3,156
12	अरुणाचल प्रदेश	398	581	651	710	1,023
13	नागालैंड	227	317	389	420	566
14	मणिपुर	309	435	392	551	615
15	मिजोरम	213	296	257	316	419
16	त्रिपुरा	556	680	732	777	884
17	मेघालय	1,368	1,522	1,337	1,764	2,076
18	असम	8,988	10,423	10,030	12,007	13,710
19	पश्चिम बंगाल	39,780	43,386	39,694	47,898	58,060
20	झारखंड	23,916	22,847	20,482	27,854	32,019
21	ओडिशा	26,948	29,677	29,844	44,335	49,442
22	छत्तीसगढ़	22,932	24,160	24,419	29,571	31,968
23	मध्य प्रदेश	25,683	28,354	27,005	31,255	36,232
24	गुजरात	73,440	78,923	74,346	97,155	1,14,221
25	दमन और दीव	1,105	1,155	305	5	3
26	दादरा और नगर हवेली	1,718	1,810	2,349	3,141	3,771
27	महाराष्ट्र	1,70,289	1,85,917	1,65,308	2,17,993	2,70,346
29	कर्नाटक	78,762	83,408	75,660	95,926	1,22,822
30	गोवा	4,103	4,280	3,270	4,364	5,520
31	लक्षद्वीप	20	20	13	18	21
32	केरल	16,343	19,234	17,349	22,264	27,371
33	तमिलनाडु	70,562	74,430	69,121	85,492	1,04,377
34	पुदुचेरी	1,924	1,871	1,646	1,824	2,373
35	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	297	361	255	332	373
36	तेलंगाना	36,408	39,820	36,346	45,081	51,831
37	आंध्र प्रदेश	25,331	27,108	26,163	32,710	40,232
38	लद्दाख	-	5	114	207	333
कुल योग		**8,73,706**	**9,41,647**	**8,62,963**	**10,93,835**	**13,20,435**
स्रोत जीएसटीएन, आंकडों: को पूर्णांकित कर दिया गया है।						

टिप्पणी:

1. सकल जीएसटी संग्रह में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और घरेलू लेनदेन से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से उपकर शामिल है। आईजीएसटी और आयात से एकत्र उपकर को राज्य-वार बनाए नहीं रखा जाता है, इसलिए इसमें शामिल नहीं किया गया है।
2. एसजीएसटी सीधे संबंधित राज्य के खजाने में जमा किया जाता है।
3. आईजीएसटी का निपटान केंद्र और राज्य के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट की खपत और क्रॉस उपयोग के आधार पर किया जाता है।
4. उपकर का उपयोग जीएसटी मुआवजे के भुगतान और जीएसटी मुआवजे के बदले राज्यों को जारी किए गए बैक टू बैक ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किया जाता है।